

संतकबीरनगर पुलिस



जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनॉक 07-11-2021

आज दिनांक 07.11.2021 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री राजेश मोदक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य —

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 13 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना दुधारा खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना में बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1493 द्वारा विवाद / मारपीट में घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल — पीआरवी 1493 को थाना मेहदावल क्षेत्रांतर्गत महला से इवेन्ट संख्या 10108 से विवाद / मारपीट में 03 व्यक्तियों (इन्द्रेश पुत्र श्री बजरंगी, हरेन्द्र पुत्र श्री हरिश्चन्द्र, वीर प्रताप पुत्र श्री हरेन्द्र निवासी ग्राम महला जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 08 मिनट में पहुंचकर घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस 108 वाहन से सीएचसी मेंहदावल भेजवाया गया तथा घटना के संबन्ध में थाना मेहदावल को अवगत कराते हुए कालर को थाने पर जाने हेतु बताया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 अश्विनी राज, आ0 विशाल गुप्ता, आ0चा0 राजेश कुमार।





संतकबीरनगर पुलिस



मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 101 वाहनों से 59500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 07.11.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 101 वाहनों से 59500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

